

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 21.07.25

रीडर/2025/6222

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गेनाराम पुत्र चौथाराम  
वगैराह जातियान कुम्हार  
(प्रजापति) निवासी  
जैसला धोरा, विशाला  
आगोर तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 इसराराम पुत्र  
भगवानाराम वगैराह  
जातियान कुम्हार  
(प्रजापति) निवासी जैसला  
धोरा, विशाला आगोर  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 330/2024

दिनांक- 01/07/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जैसला धोरा पटवार क्षेत्र विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 194 रकबा 34.5115 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-बाड़मेर 21.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6223-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी विशाला आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण गेनाराम पुत्र चौथाराम वगैराह जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी जैसला धोरा, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण इसराराम पुत्र भगवानाराम वगैराह जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी जैसला धोरा, विशाला आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर